Report of 'National Expert Committee on Women Prisoners'

2903. SHRI CHANDRIKA PRASAD TRIPATHI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether 'National Expert Committee on Women Prisoners' has submitted its report to Government recently;

(b) if so, what are the broad outlines of the recommendations of the Committee; and

(c) what action Government has taken on the report?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir.

(b) The broad outlines of the recommendations of the Committee are as follows:—

(i) the beneficial provisions for women in the administration of criminal and correctional justice;

(ii) the broad objectives and procedures which should regulate the custody of women;

(iii) remedial steps to counter the glaring discriminations against women; and

(iv) specific recommendations applicable to each of the operators of the criminal justice and correctional systems *viz.* the police, the judiciary, law, prison and correctional staff.

(c) The Ministry of Home Affairs, the Ministry of Law and Justice and the Department of Personnel and Training have been requested to implement the recommendations made in the report.

मैसर्स प्योर ड्रिक्स (प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जा

2904. **श्री अशोक नाथ वर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने अपने 2 अप्रैल, 1986 के पत्र में मैसर्स प्योर ड्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में रेलवे की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने के संबंध में जांच की मांग की थी ; यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि उसने रेलवे की भूमि पर अनाधिकृत रूप से वर्षों से एक फैक्ट्री बना रखी है और इस भूमि का प्रयोग अन्य कार्यों के लिये भी किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो किस तारीख से कितनी भूमि किस आधार पर अनधिकृत कब्जे में है ;

(घ) उनके विरुद्ध किराये की कितनी राशि बकाया है और उसकी वसूली के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि उनके विरुद्ध आर्थिक अपराध संबंधी कानूनों और भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, क्या सरकार उनके विरुद्ध इन कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) एक संसद सदस्य से दिनांक 2 अप्रैल, 1986 को एक पत्र प्राप्त हुआ था और उन्हें 28 अप्रैल, 1986 को उसका उत्तर भेज दिया गया था, जिसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी ।